

प्रतिलिपि आदेश

प्रस्तावित स्थल एवं भवन का मानचित्र सं० 108 — स्वीकृत किया जाता है।  
तथा निर्माण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिबन्ध यह है। कि :-

1. भवन का निर्माण भवन चित्र के अनुरूप होगा।
2. भवन का 1/3 भाग खुला होगा।
3. प्लान में यदि कोई अतिक्रमण या अपनी जमीन के बाहर प्रोजेक्शन दिखाया गया है तो उसकी स्वीकृति नहीं समझी जायेगी।
4. भूमी संबंधी विवाद की कोई जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की नहीं होगी।
5. पालिका परिषद की नाली, पटरी आदि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा।
6. प्रार्थी अपनी जमीन में 4 फिट चौड़ा चबुतरा छोड़कर निर्माण कार्य करेगा।
7. प्रार्थी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
8. यह स्वीकृति प्रमाण- पत्र निर्गत करने की तिथि से केवल दो वर्ष तक के लिए मान्य होगी। उक्त अवधि के समाप्ति के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, जब तक कि पालिका से दोबारा स्वीकृति न ले ली जायं।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद  
मुँ0 बादशाहपुर, जौनपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद मुँ0 बादशाहपुर जौनपुर

पत्रांक - 104 / न0 पा0 प0/03/3 दिनांक- 10-06-2020

प्रतिलिपि श्री / श्रीमती जय बजरंग कार्तिकी, इंजीनियर, बजारमे प्रबन्धक, चन्द्रश्याम मिश्र  
पुत्र / पुत्री रुद्रेश श्याम मिश्र, नि0 मो0 कल्याण मुँगाडा बादशाहपुर, जौनपुर  
को निम्नलिखित चौहददी के अंदर भवन निर्माण के संदर्भ में है, को सूचनार्थ प्रेषित।


चौहददी

उ0 :- जय बजरंग श्रीहेला महाविद्यालय।

द0 :- रवेह अफील, कफील अहमद आदि।

पू0 :- रवेह अफील, कफील अहमद आदि।

प0 :- रवेह पूर्णमाशी आदि।

  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
मुँ0 बादशाहपुर, जौनपुर